न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी–नरेश कुमार शर्मा
आई0ए0एस0

रेफरेंस सं0 05/2008

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दौसा .. प्रार्थी

बनाम

कॉपरेटिव सोसायटी दलेलपुरा (सहभागी सदस्यगण)

1. सतपाल
2. अशोक कुमार पिसरान तिलकराज जाति पंजाबी निवासी दौसा हाल आबाद दिल्ली .. अप्रार्थी

रेफरेंस अंतर्गत धारा 82 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

उपस्थितः 1. श्री चंद्रशेखर शर्मा राजकीय अभिभाषक
2. श्री राजेंद्र कुमार शर्मा अधिवक्ता अप्रार्थीगण

निर्णय दिनांक 06.06.2018

संक्षिप्त वृतांत यह है कि तहसीलदार दौसा द्वारा यह रेफरेंस प्रा0 पत्र अप्रार्थी के विरुद्ध इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि कोपरेटिव सोसायटी दलेलपुरा तहसील दौसा के 26 सहभागी पाकिस्तानी विस्थपित शरणार्थियों के जीवन निर्वाह हेतु दिनांक 10.6.1949 को ग्राम दलेलपुरा तहसील दौसा में आराजी खसरा नंबर 29 रकबा 311 बीघा 10 बिस्वा, 30 रकबा 74 बीघा 10 बिस्वा, 67 रकबा 24 बीघा 9 बिस्वा, 71 रकबा 3 बीघा 5 बिस्वा, 74 रकबा 13 बिस्वा, 75 रकबा 16 बिस्वा, 77 रकबा 7 बीघा 15 बिस्वा, 78 रकबा 26 बीघा 10 बिस्वा, 92 रकबा 22 बीघा, 93 रकबा 2 बीघा 17 बिस्वा, 94 रकबा 2 बीघा 6 बिस्वा, 97 रकबा 6 बीघा 1 बिस्वा, 98 रकबा 7 बीघा 14 बिस्वा, 99 रकबा 9 बिस्वा, 100 रकबा 5 बिस्वा, 101 ला0 147 रकबा 21 बीघा 16 बिस्वा, 151 लगा0 165 रकबा 42 बीघा 6 बिस्वा, कुल रकबा 556 बीघा 3 बिस्वा का आवंटन किया गया था। जिसके आधार पर उक्त आवंटित भूमि बाबत कृषि सहकारिता के अनुसार कृषकों की सोसायटी दलेलपुरा का दिनांक 27.6.49 को कमांक 423 एल/27.6.49 को पंजीयन हुआ। उक्त कृषि सहकारी संस्था कोपरेटिव सोसायटी दलेलपुरा के नाम राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी आदि में खातेदारी इन्द्राज किया गया। तत्पश्चात उक्त कोपरेटिव सोसायटी दलेलपुरा के प्रभाव में नही रहने के कारण राजस्थान सहकारी संस्था अधिनियम 1965 की धारा 78 के अंतर्गत दिनांक 18.2.86 को अवसायन हो जाने के फलस्वरुप सहायक रजिस्ट्रार सहकारी समितियॉ दौसा के

आदेश दिनांक 31.3.96 के द्वारा उक्त पंजीयन निरस्त कर दिया गया। भू–प्रबंध कार्यवाही के दौरान भू प्रबंध विभाग द्वारा तैयार खतौनी संवत 2041 में विभाग द्वारा सहकारी समिति दलेलपुरा के नाम दर्ज भूमि में से 51.94 है0 भूमि कोपरेटिव सोसायटी दलेलपुरा के नाम अंकित रखते हुए शेष भूमि 87.86 है0 भूमि 17 व्यक्तियों के नाम अलग–2 खातेदारी में अंकित करने का कोई कानूनी क्षेत्राधिकार नहीं था। उक्त सहकारी संसथा का अवसायन हो जाने एवं पंजीयन निरस्त हो जाने के कारण उक्त प्रश्नगत आराजी व्यक्तिगत खातेदारी में कानूनन अंकित नहीं की जा सकती थी तथा राज्य सरकार के हित में पुनर्ग्रहण की जानी चाहिए थी। जिला कलेक्टर, दौसा के आदेश क्रमांकःआर–18–ए(324) 91/9778–94 दिनांक 12.10.01 के द्वारा सिवायचक घोषित कर भूमि राज्य सरकार के पक्ष में अधिग्रहण करने के आदेश पारित किये जाने पर नामान्तकरण संख्या 78 दिनांक 12.10.01 के अनुसार भूमि राजस्व रिकॉर्ड में सिवायचक दर्ज की गई है। रजिस्ट्रार सहकारी समितियॉ दौसा के आदेश दिनांक 31.3.96 व वर्तमान जमाबंदी खसरा नंबर 234, 263, 321 कुल किता 3 कुल रकबा 3.73 है0 वाके ग्राम दलेलपुरा आदि की प्रति उक्त रेफरेंस प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत की जिस पर दर्ज कर अप्रार्थी को नोटिस जारी किये गये।

उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई। प्रार्थी राजस्थान सरकार की ओर से राजकीय अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस जारी रखते हुए कहा गया कि सन् 1949 में भारत विभाजन के उपरांत पाकिस्तान के विस्थापित शरणार्थी परिवारों को जीवन निर्वाह हेतु दिनांक 10.6.49 को उक्त प्रश्नगत आराजी प्रार्थना पत्र रेफरेंस चरण संख्या 01 में वर्णित भूमि का आवंटन किया गया था, जो सहकारी संस्था कोपरेटिव सोसायटी दलेलपुरा के रुप में पूर्व में आवंटित करते हुए राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी आदि में अंकित की गई है तथा 18.2.86 को उक्त कोपरेटिव सोसायटी का अवसायन कर दिये जाने एवं रजिस्ट्रार सहकारी समितियॉ दौसा द्वारा अपने आदेश दिनांक 31.3.96 के द्वारा उक्त पंजियन निरस्त कर दिये जाने के फलस्वरुप भू–प्रबंध विभाग को उक्त आराजी का पूर्व आवंटियों के नाम व्यक्तिगत रुप से खातेदारी अंकन करने का कनूनन कोई क्षेत्राधिकारी नहीं था तथा उक्त आराजी प्रार्थी राजस्थान सरकार के नाम से कानूनन अंकन किया जाना चाहिए था। अतः रेफरेंस में अंकित भूमि राज्य सरकार के पक्ष में पुनर्ग्रहित की जावें।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

विद्वान अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस आवंटन आदेश दिनांक 10.6.49 बाबत स्पष्ट रुप से कहा गया कि उक्त भूमि सिवायचक भूमि थी, जिसका आवंटन भारत पाक विभाजन के समय पाकिस्तान के पंजाब प्रान्त से विस्थापित होकर भारत आये शरणार्थी पंजाबी 26 कृषकगण परिवार के नाम पृथक–पृथक किया गया था। आवंटीगण आवंटित भूमि पर काश्त करते रहे व आराजीयात की सिचांई हेतु तत्समय जमवारामगढ बॉध से निकलने वाली नहर से भी होती थी तथा उक्त भूमि पर काश्तकारगण ने कूप भी बनवा लिये थे। आवंटी काश्तकारगण द्वारा भूमि की जुताई बुवाई के लिए सरकार से ऋण लेने हेतु कृषि सहकारी समिति का गठन

कर लिया। जिसके कारण भूमि की खातेदारी कृषि सहकारी समिति के नाम अंकित कर दी गई जबकि भू आवंटन पृथक पृथक नामों से हुआ, खातेदारी पृथक पृथक अंकित हुई तथा काश्त भी पृथक पृथक करते थे। आवंटन आदेश आवंटियों को व्यक्तिगत नाम से किया गया था न कि कोपरेटिव सोसायटी दलेलपुरा के नाम से उक्त आवंटन किया गया था। उक्त आदेश को देखे जाने से भी उक्त आवंटन आदेश व्यक्तिगत व्यक्तियों के नाम से प्रश्नगत आराजी आवंटित की गई थी न कि कोपरेटिव सोसायटी के नाम से। यदि पूर्व आवंटियों द्वारा उक्त आराजी के उत्थान हेतु कोई कोपरेटिव सोसायटी की संरचना करली गई तथा कालान्तर में उक्त कोपरेटिव सोसायटी अस्तित्व में नही रहती है तो उक्त आराजी पूर्व की भॉति आवंटियों के नाम व्यक्तिशः दर्ज होनी चाहिए। मात्र कोपरेटिव सोसायटी बना दिये जाने मात्र व आराजी पर राजस्थान सरकार के हित निहित नहीं हो सकते है। बिद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा अपनी बहस जारी रखते हुए कहा कि पूर्व में इन्हीं आवंटियों में से राजस्थान सरकार द्वारा माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 20.4.98 उक्त निर्णय के विरुद्ध प्रार्थी राजस्थान सरकार तहसीलदार द्वारा राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर खण्डपीठ के समक्ष प्रस्तुत सिविल रिट याचिका नंबर 4709/2001 में पारित निर्णय दिनांक 27.9.01 के समर्थन में कहा गया कि उक्त निर्णय फाइनल हो गये है तथा उक्त आवंटन आदेश दिनांक 10.6.49 पूर्व आवंटियों के व्यक्तिगत नाम से था न कि कोपरेटिव सोसायटी के नाम से तो उक्त निर्णय उक्त प्रश्नगत आराजी के सम्पूर्ण खातेदारान पर चस्पा एवं प्रभावी होता है तथा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के उक्त निर्णय दिनांक 27.9.01 के विरुद्ध किसी प्रकार का कोई आदेश कानूनन पारित नहीं किया जा सकता है उक्त सम्पूर्ण तथ्य छिपाते हुए राजस्थान सरकार द्वारा उक्त रेफरेंस प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। ऐसी दशा में उक्त रेफरेस प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने बाबत प्रार्थना की गई।

हमने पक्षकारान की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि प्रार्थी पक्ष द्वारा अपने प्रा0 पत्र में संयुक्त सहभागी कृषक को दिनांक 10.6.1949 को भारत विभाजन के बाद पाकिस्तान विस्थापित शरणार्थी 26 परिवारों को जीवन निर्वाह के लिए भूमि काश्त हेतु चाहने पर तहसीलदार के द्वारा दिनांक 10.06.1949 को काश्त करने के उद्देश्य से 25–25 बीघा भूमि ग्राम दलेलपुरा तहसील दौसा में राजकीय सिवायचक भूमि उपलब्ध करवाई गई। शरणार्थियों को आवंटित भूमि बाबत कृषि सहकारिता के अनुसार कृषकों को कॉपरेटिव सोसायटी दलेलपुरा का दिनांक 27.06.1949 को पंजीयन हुआ। तदनुसार राजस्थान कृषि संस्थायें अधिनियम 1953 व राजस्थान भू–राजस्व (सहकारी संस्थाओं को भूमि का आवंटन) नियम 1959 के भूत लक्ष्मी गठित तथा पंजीकृत कृषि सहकारी संस्था कॉपरेटिव सोसायटी दलेलपुरा के नाम ग्राम दलेलपुरा स्थित आराजी खसरा नंबरान किता 209 कुल रकता 556 बीघा 5 बिस्वा भूमि राजस्व अभिलेख खतौनी बंदोबस्त संवत 2010 लगायत 2022 के खाता संख्या 16 पर कॉपरेटिव सोसायटी दलेलपुरा के नाम दर्ज

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

निम्नलिखित है। उक्त कॉपरोटिव सोसायटी दलेलपुरा के प्रभाव में नहीं रहने के कारण राजस्थान सहकारी संस्था अधिनियम 1955 की धारा 78 के अंतर्गत दिनांक 18.02.86 को अवसायन कर दिया गया। तत्पश्चात सहायक रजिस्ट्रार सहकारी समितियॉ दौसा के द्वारा दिनांक 31.03.1996 के द्वारा समिति का पंजीयन भी निरस्त कर दिया गया। चूँकी सोसायटी की भूमि सदस्यों के नाम दर्ज नहीं की जा सकती तथा कोपरेटिव सोसायटी दलेलपुरा का दिनांक 18.02.1986 को ही अवसायन हो जाने व दिनांक 31.03.1996 को पंजीयन निरस्त हो जाने के फलस्वरूप कॉपरेटिव सोसायटी मूर्त रूप व प्रभाव में नहीं होने से आवंटित भूमि पर सदस्यों का कोई अधिकार प्रतिपादित नहीं होता है। ग्राम दलेलपुरा तहसील दौसा में खातेदारों को पृथक से दी गई खातेदारी कानूनन अवैद्य है ऐसी स्थिति में जब संस्था का ही अवसायन हो गया तो खातेदारों का उक्त कॉपरेटिव सोसायटी दलेलपुरा को आवंटित भूमि पर कोई अधिकार नहीं होने से भूमि राज्य सरकार के पक्ष में पुनर्ग्रहित किये जाने योग्य है। अप्रार्थी द्वारा अपनें कथनों की पुष्टि में ऐसे कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये गये इसलिए उनके कथन की पुष्टि नहीं होती है। उपरोक्त तथ्यों एवं कानूनी बिंदुओं के अध्योपरांत रेफरेंस स्वीकार योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रकरण रेफरेंस योग्य पाये जाने के कारण प्रश्नगत भूमि खसरा नंबर 221, 234, 263 किता 3 कुल रकबा 3.73 है0 वाके ग्राम दलेलपुरा तहसील दौसा स्थित भूमि पुनः सिवायचक दर्ज करने के आदेश प्रसारित करने हेतु माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को रेफरेंस किया जाता है। पक्षकारान को निर्देशित किया जाता है कि दिनांक 30.07.2018 को माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर में उपस्थित हो।

(नरेश कुमार शर्मा)
जिला कलेक्टर, दौसा
जिला कलेक्टर,दौसा

निर्णय आज दिनांकः 06 जून, 2018 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(नरेश कुमार शर्मा)
जिला कलेक्टर, दौसा
जिला कलेक्टर,दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official